तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य	
5-12-24	उपस्थित :– श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक अपीलांट। श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स। निर्णय 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–9–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिन्हें प्रार्थना पत्र के आधार पर मण्डल के आदेश दिनांक 28–03–2024 से निगरानी में परिवर्तित कर दिया गया। हस्तगत दोनों प्रकरणों का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक ही निर्णय के साथ निस्तारण किया गया, मण्डल द्वारा भी हस्तगत दोनों प्रकरणों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि दोनों प्रकरणों में तथ्य समान व एक ही प्रकृति का कानूनी विवाद है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में लगाई जावे। 2. निगरानी मीमोंनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी जसराज का मौजा खाखलिया खेड़ा के खसरा नं.94 रकबा 2 बीघा एवं अपीलांट/प्रार्थी देवीलाल का खसरा नंबर 73 रकबा एक बीघा भमि पर कब्जा चला आ रहा है। कथित जमीन अपीलांट के कब्जे वाली जमीन को रेस्पो. संख्या एक के हक में आवंटन कर दी। जिसमें आवंटन नियम 9, 10 , 11, 12 व 13 की पालना नहीं की गई। जिसके संबंध में अपीलांट ने जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–02–2003 से खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष पेश की। जिन्होंने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 27–09–2004 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानियां माननीय मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ज्ञापन में लिखित तथ्यों व लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी का मौजा खाखलिया–खेडा के खसरा नम्बर 94 रकबा 2 बीघा भूमि पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। कथित जमीन प्रार्थी के कब्जे वाली जमीन को विपक्षी संख्या 1 के हक में आवंटन कर दी यह आवंटन बिल्कुल गलत व बिना अधिकार के किया गया था। कथित जमीन पर प्रार्थी का कब्जा करीब 50 वर्षों से चला आ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है तथा वह भूमिहीन की श्रेणी में आता है क्योंकि 30 एकड से कम जमीन वाला व्यक्ति भूमिहीन है। प्रार्थी उसी गांव का रहने वाला है जहां भूमि स्थित है। जबकि विपक्षी संख्या 1 दूसरे गांव का व दूसरी पंचायत का रहने वाला है, खाखलिया–खेड़ा की पंचायत अलग है व कुंवारिया की पंचायत अलग है। दोनों अलग अलग गांव के हैं तथा कानूनन जिस गांव की जमीन हो उसी गांव के व्यक्ति को आवंटन की जानी चाहिए क्योंकि यह कोलोनाइजेशन की जमीन है एवं इसके रूल्स 1968 के अलग बने हुए हैं। यह भी निर्विवाद है कि प्रार्थी ने कथित जमीन के आवंटन के लिए एप्लाई किया था उसका पंजीयन आवंटन पत्र तो खारिज कर दिया गया व विपक्षी संख्या 1 को कथित जमीन का आवंटन कर दिया गया इस आवंटन के पूर्व नियमों की पालना नहीं की गयी है इसमें नियम 11 के अनुसार पब्लिक नोटिस कोई भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं किया गया है, न ही तहसील के नोटिस बोर्ड पर ही चस्पा किया गया है न सम्बन्धित गांव के सार्वजनिक स्थान पर ही चस्पा किया गया है। यहां तक कि गांव वालों को बीट एण्ड ड्रम से भी सूचित नहीं किया गया है। जो आवश्यक है। नियम 10 के अनुसार प्रायोरिटी उसी गांव के व्यक्ति को दी जावेगी। अगर उस गांव का कोई लैण्ड लेस व्यक्ति नहीं हो तो पास के गांव वालों को आवंटन किया जा सकेगा परन्तु इसमें नियम 10 की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार होकर उसका प्रार्थना पत्र भी दिया हुआ था एवं उसका पुराना कब्जा था जिसके लिए नियमन की सिपारिश की हुई थी एवं नियमन की कार्यवाही पेन्डिंग थी साथ ही यह जमीन विपक्षी को एलोट के लिए उपलब्ध नहीं थी। नियम 13 के अनुसार एडवाइजरी कमेटी का पूरा कोरम नहीं था तथा एडवाइजरी कमेटी को 15 दिन का नोटिस भी सर्व नहीं हुआ था इस कारण प्रार्थी ने नियम 17 सी (कोलानाईजेशन रूल्स 1968) के तहत जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें नियम 9, 10, 11, 12 व 13 आदि बताये गये व इन नियमों का उल्लंघन बताया गया फिर भी जिला कलक्टर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जिससे नाराज होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां पेश की तथा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने मर्जी मकसूद तरीके से रेकर्ड व दस्तावेजी सबूत पेश होते हुए भी अनदेखा करते हुए प्रार्थी की अपील खारिज करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है। उनका आगे यह कथन रहा कि दो अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश हुए थे जिसमें 1968 के नियम 11 के अन्तर्गत इस भूमि के आवंटन हेतु सार्वजनिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी इसी तरह नियम 12 के तहत आवंटन प्रार्थना में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, यह भूमि प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि है तथा खाली नहीं होने के कारण आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं की। पत्रावली संख्या 81/81 एवं 53/81 के द्वारा प्रार्थीगणों के पिता के नाम नियमन की सिफारिश भी हुई थी और कभी भी आवंटन के पश्चात् इन भूमियों का कब्जा विपक्षीगण को नहीं दिया गया है इस प्रकरण में नियम 11, 12, की कतई पालना नहीं हुई है। प्रार्थी खाखलिया–खेडा के निवासी हैं व इसकी पात्रता रखते हैं अतः उनकी प्राथमिकता कुंवारिया गांव के निवासी जो अप्रार्थीगण हैं उनसे पहले बनती है इस कारण प्रार्थीगण के नाम आवंटन की सिफारिश की जानी चाहिए थी। प्रार्थी ने मुख्य रूप से कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विधिक नियमों की गलत व्याख्या की है तथा अभियान के दौरान सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालयों में प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें देखा तक नहीं है साथ ही प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 27 के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो उनके पक्ष में नियमन की अधिशंषा के संदर्भ में है। ये दस्तावेज निर्णय की प्रमाणित प्रतियां है उन्हें रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। क्योकि यह दस्तावेज मोस्ट रिलेवेन्ट है जैसा कि आर.आर.टी 2003 पेज 120 पर तय किया गया है। इसमें बताया कि यदि दस्तावेज रिलेवेन्ट है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय को उन्हें स्वीकार कर रेकर्ड पर लिया जाना चाहिए। प्रार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर उसी दिन विपक्षी को आवंटन कर दिया गया है। इस तरह इस भूमि की न तो उद्घोषणा जारी हुई है, जबकि नियमों के तहत उद्घोषणा जारी होने के दो माह बाद ही नियमन किया जा सकता है। अन्त में उन्होनें विपक्षी के हक में हुए गलत आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया है। अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 373, आरआरटी 2006(1) पेज 436, आरआरडी 2006 पेज 198, आरआरडी 1985 पेज 564, आरआरटी 2005 पेज 83, आरआरडी 1982 एनओसी पेज 21, आरआरडी 1982 पेज 233 व 497, आरआरडी 1994 पेज 643, आरआरटी 2004(4) पेज 999 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 4– जवाब बहस में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि दोनों ही आवंटी भूमिहीन काश्तकार हैं और आवंटी के पास 30 बीघा भूमि है। आवंटन के दिन तक अपीलान्ट के द्वारा कोई भी आवेंदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रभावित पक्षकार नहीं हैं। आवंटन नियमों के तहत गांव के समीप के गांव के व्यक्ति को भी आवंटन किया जा सकता है। जबकि खाखलिया और कुंवारिया समीप के गांव होकर एक ही पंचायत के गांव हैं। अतः उक्त आवंटन विधि सम्मत है। कब्जे के सन्दर्भ में उनका दस्तावेज 1981 का है, जिससे 23 वर्ष निकल चुके हैं। अतः आवंटन के दिन उनका कब्जा कैसे माना जा सकता है। आवंटन के दिन मौके पर हमारा कब्जा है। अन्त में उन्होनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है। 5– हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली के एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मंडल की आदेशिका दिनांक 17–8–2022 से प्रार्थी जसराज के विधिक वारिसानों को रिकोर्ड पर लिया गया है तथा आदेशिका दिनांक 28–3–2024 से उभय पक्ष को सुनकर दोनों अपीलों को निगरानी में परिवर्तित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 जिसके द्वारा उन्होनें निवेदन किया कि निगरानी मण्डल में पोषणिय नहीं होने से खारिज की जावें। जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2022 को पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित है ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते हुए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 खारिज किया जाता है। जिला कलक्टर राजसमन्द की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पत्रावली संख्या 81/81 एवं 53/81 निर्णय दिनांक 10.6. 81 का अवलोकन किया। निर्णयानुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम खाखलिया खेड़ा की आराजी खसरा नं.94 पर जसराज प्रार्थी एवं आराजी खसरा नं. 73 रकबा 1 बीघा पर घासी वर्तमान प्रार्थी के पिता का अतिक्रमण होने कि स्थिति में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत जसू पुत्र कसना एवं घासी पुत्र रामा जाट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर जसू एवं घासी ने उपस्थित होकर उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने एवं भूमि ठिकाने से खरिद कर काबिल काश्त बनाना तथा उक्त जमीन उसके पिता जी ने जमींदार नारसिंह द्वारा पट्टे से लेने के बाद उसके पिता एवं उसका कब्जा बदस्तूर चला आना बताया। पटवारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट अनुसार एवं खसरा गिरदावरी अनुसार जसू एवं घासी का कब्जा दिनांक 01.07.75 के पूर्व का सिद्ध होना माना है तथा भूमि पर कब्जा होकर काश्त किया जाना भी सिद्ध माना है। भूमि ठिकाने से खरिदी हुई एवं उसके खाते सहवन से दर्ज नहीं होना प्रस्तुत पट्टे की नकल से स्पष्ट मानते है। अतिक्रमी जसू एवं घासी के खाते में सिंचित एवं असिंचित निर्धारित भूमि से कम भूमि होना भी तहसीलदार ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है। कब्जा सिद्ध होने की स्थिति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.04.77 के अनुसार कब्जा मय काश्त होने से काबिल नियमन मानते हुए विवादित भूमि जसू एवं घासी के नाम नियमन करने हेतु मूल पत्रावली मय रिकॉर्ड उप जिला कलक्टर राजसमन्द को प्रेषित की है। पत्रावली में सलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2056 की निरंतर खसरा गिरदावरियों में प्रार्थी जसराज पिता किशना जाट एवं घासी का कब्जा मय फसल काश्त अंकित होना स्पष्ट है। अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र चतूर्भुज को मजमेंआम में खसरा नं0 94 की 2 बीघा एवं अप्रार्थी किशनलाल पिता सोहनलाल को खसरा नं. 73 रकबा एक बीघा का आवंटन दिनांक 17.06.02 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। इस एकल पीठ की राय में प्रार्थी जसराज व देवीलाल पुत्र घासी का भी विवादित आराजी पर लम्बे समय से कब्जा काश्त होने पर निमयन का प्रार्थना पत्र लम्बित था। किंतु मजमेंआम में आवंटन अधिकारी ने बिना मौके एवं खसरा गिरदावरी का अवलोकन किये तथा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 10.06.81 जिसमें जसराज एवं प्रार्थी देवीलाल के पिता घासी को कब्जे के आधार पर नियमन की सिफारिश की थी, को नजरंअदाज करते हुए अप्रार्थी मांगीलाल एवं अप्रार्थी किशनलाल को आवंटित कर दी। आवंटन अधिकारी द्वारा विवादित आराजी मांगीलाल एवं किशनलाल को आवंटित करते समय न तो कब्जे काश्त बाबत् खसरा गिरदावरियों का अवलोकन किया एवं न ही तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पूर्व में दिनांक 10.06.81 द्वारा भेजी गई सिफारीश को ध्यान में रखा। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में समस्त नियमों की व्याख्या करते हुए आवंटन को सही माना है, किन्तु उनके द्वारा भी तहसीलदार राजसमन्द का निर्णय दिनांक 10.06.81 एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त बाबत् संलग्न खसरा गिरादावरियों के संबंध में किसी प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का निष्कर्ष अंकित नहीं किया है। अपितु उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज किया है। 1968 के आवंटन नियमों के नियम 21 के अनुसार प्रार्थीगण का नियमन प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश असमर्थनीय होकर जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2003 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2004 निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन आदेश दिनांक 29-6-02 निरस्तनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2003 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2004 निरस्त किये जाते है एवं अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.06.02 भी निरस्त किया जाता है। प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये अभिमत के आलोक में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पात्रता व वरियता स्पष्ट करते हुए मौके के कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से राजस्थान कोलोनाईजेशन (मिडियम एवं माईनर इरिगेशन प्रोजेक्ट गवर्मेंट लैण्ड आलोटमेंट) रूल्स 1968 के अनुसार आवंटन की कार्यवाही करें। उभय पक्ष आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-01-2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ अविलम्ब भेजा जावें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मदनलाल नेहरा) सदस्य	